

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

क्रमा नम्बर 116/2025

दायर दिनांक-06.05.2025

1. रामचंद्र पुत्र हणमान जाति गुर्जर निवासी गढ़वालो की ढाणी, तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०)

-वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र हणमान
2. पोकर मल पुत्र हणमान
3. बीरबल पुत्र हणमान
4. समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गढ़वालो की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०)
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ़ जिला सीकर (राज०)
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०)

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रतिवादी :- श्री जयपाल सिंह

दावा बाबत : घोषणा, नक्शा दुरुस्ती  
व स्थाई निषेधाज्ञा।

--: निर्णय ::-

दिनांक-17.10.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गढ़वालों की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता 12 कुल रकबा 5.7100 है० भूमि स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस आदि वाद पत्र के साथ पेश है वादी उपरोक्त भूमि के संबंध में वाद बाबत विभाजन, नक्शा ट्रेस दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान की सेवामें पेश कर रहा है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है। राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है। कुल किता 12 कुल रकबा 5.7100 है० भूमि स्थित है उक्त खसरा नम्बरान में खसरा नम्बर 200 रकबा 0.11 है० व खसरा नम्बर 204 रकबा 0.25 है० जो नजरिये नक्शा मार्क ए के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसको नजरी नक्शे के मार्क बी के अनुसार दुरुस्त करवाया जाने के उक्त संशोधित वाद पत्र सेवामें पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 200 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1609६3 व उसके पुराने खसरा नम्बर 1562 बने जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा देखने से यह लगता है कि उक्त खसरा नम्बर रास्ते का बना हुआ है जबकि उक्त खसरा नम्बर खातेदारी में दर्ज है। जिसको नजरिये नक्शे के मार्क बी के अनुसार दुरुस्त किया जावे व इसी अनुसार

महायुक्त कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

खसरा नम्बर 204 रकबा 0.24 है० जिसके पुराने खसरा नम्बर 1609E4 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1564मी बने जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि में दर्ज है परन्तु राजस्व नक्शे में देखने पर रास्ता मालूम होता है जिसको दुरुस्त किया जाकर नजरिये नक्शे के मार्क बी के अनुसार दुरुस्त किया जावें।

उक्त विवादित भूमि में वादी का रिकॉर्डेड हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है आवास कर रहा है वादी अपने हिस्से की भूमि का नक्शा दुरुस्त करवाने का अधिकारी है इसलिए वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जायेगा तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका खामियाजा किसी भी सूरत में संभव नही होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश किया जा रहा है।

वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में गलत रूप से रास्ता दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि में न तो कभी रास्ता रहा है और ना ही वर्तमान में मौके पर रास्ता है ना ही किसी ढाणी या गाँव में जाता है ना ही वादग्रस्त भूमि के अन्य राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी आदि में कोई रास्ता दर्ज है खसरा नम्बर 200 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.24 है० जिसके पुराने खसरा नम्बर 1609/3 व 1609/4 बने व इनके पुराने खसरा नम्बर 1562 व 1564 मी बने उक्त खसरा नम्बर की वर्तमान खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है खसरा नम्बर 200 व 204 की किस्म भूमि बारानी खाता संख्या 71 में दर्ज है परन्तु नक्शे में इन खसरा नम्बर का रास्ता दर्ज दर्शाया हुआ है। सन् 1979-80 में भू-प्रबन्ध सैटलमेन्ट के कार्य के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस पर नही जाकर अपने कार्यालय में ही बैठकर गलत रूप से नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम कर दिया जो गलत रूप से नक्शा ट्रेस में आज तक चला आ रहा है। कानूनन भू-प्रबन्ध के दौरान प्रविष्टी इन्ट्री को ही दौरान का अधिकार था जबकि वादी के द्वारा अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है तथा पक्के मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है गलत रूप से वादी की कब्जे काश्त की भूमि के नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज होने के कारण नक्शा ट्रेस दुरुस्त करवाने हेतु यह संशोधित वाद सेवामें पेश किया जा रहा है। वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में ज्यादा ज्ञान नही होने के कारण तथा जमाबन्दी में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण से वादी को गलत रूप से नक्शा ट्रेस में रास्ता गलत दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं हुई। दिनांक 02.05.2025 को सरकारी सहायता के लिए पटवारी हल्का से केसीसी कार्ड बनवाने के लिए सम्पर्क किया तो वादी को अपने राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में गलत रूप से रास्ता दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई हालांकि राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में गलत रूप से रास्ता के बने रहने से वादी के वैध अधिकारो पर किसी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है ना ही गलत नक्शा ट्रेस की आड़ में वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया जा सकता है परन्तु गलत नक्शा ट्रेस बने रहने से वादी को सख्त हकतलफी पैदा हो रही है इसलिए नक्शा ट्रेस दुरुस्त करवाने के लिए यह संशोधित दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 02.05.2025 को वादी के द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी की नकल लेने पर हल्का पटवारी के द्वारा जानकारी देने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। वैसे वादी का वाद नक्शा दुरुस्तीस्थाई निषेधाज्ञा का है इसलिए लिए वादकारण हरपल हरवक्त पैदा होता रहता है।

विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :- वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता 12 कुल रकबा 5.7100 है० भूमि में खसरा नम्बर 200 व खसरा नम्बर 204 को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरिये नक्शा मार्क बी के अनुसार संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा मार्क ए के अनुसार दर्शित खसरा नम्बर 200 व 204 को हटाया जावे।

राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है० के नक्शा ट्रेस में मार्क ए से मार्क बी रास्ते की लाईन दर्शायी गई है जो खसरा नम्बर 200 व 204 है उसमें रास्ता अस्तीत्व में नहीं होने के कारण तथा ना ही आवागमन के उपयोग में आने के कारण से नक्शा ट्रेस से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस मार्क बी के अनुसार दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे।

राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता. 12 कुल रकबा 5.7100 है० प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि नया रास्ता ना तो स्वयं डाले और ना ही अपने किसी नौकर-चाकर या अधिनस्थ कर्मचारी आदि से डलवाये। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 03 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु गवाह रामचंद्र ने उप० होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने पर बहस उमय पक्ष बगौर सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद-पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता. 12 कुल रकबा 5.7100 है० भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 03 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथा कब्जे काश्त की भूमि है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2075-78 से प्रमाणित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में स्थित खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है० व खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है० भूमि के राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता गलत रूप से दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण का कब्जा कारत है तथा यह रास्ता किसी भी प्रकार से आवागमन हेतु उपयोग में नहीं आ रहा है। अतः उक्त खसरा नम्बर से रास्ते का अंकन हटाया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

--: आदेश :-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है० के नक्शा ट्रेस में रास्ते की लाईन हटाया जाकर नक्शा ट्रेस दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। विवादित भूमि राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ में स्थित नया खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता. 12 कुल रकबा

सहायक कमिश्नर एवं कायपालक  
पजिस्ट्रार, फाल्गुन-टेक, नवलगढ़

97100 है० में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि में नया रास्ता ना तो स्वयं डाले ओर ना ही अपने किसी नौकर-चाकर या अधिनस्थ कर्मचारी आदि से डलवायें। उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक  
~~मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़~~  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं०:- 116/2025

( रामचंद्र बनाम ओमप्रकाश आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनूं (राज०) की सरहद में नई खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है० के नक्शा ट्रेस में रास्ते की लाईन हटाया जाकर नक्शा ट्रेस दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। विवादित भूमि राजस्व ग्राम गढ़वालो की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ में स्थित नया खाता संख्या 71 पुराना खाता संख्या 66 की भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 1.5400 है०, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.8300 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.4700 है०, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1400 है०, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1100 है०, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.9700 है०, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2400 है०, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 234/19 रकबा 0.0300 है० कुल किता. 12 कुल रकबा 5.7100 है० में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि में नया रास्ता ना तो स्वयं डाले ओर ना ही अपने किसी नौकर-चाकर या अधिनस्थ कर्मचारी आदि से डलवायें। उक्त भूमि कें मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
नवलगढ़  
पजिस्ट्रार

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00